

- The first step in the process of the cell cycle is the G1 phase, during which the cell grows and prepares for division.
- The second step is the S phase, where DNA replication occurs, resulting in two identical copies of each chromosome.
- The third step is the G2 phase, where the cell continues to grow and checks for errors in the DNA.
- The fourth step is the M phase, where the cell divides into two daughter cells through mitosis.
- The cell cycle is regulated by a complex system of proteins and signaling pathways.
- The G1 phase is the longest phase of the cell cycle, and its duration varies between different cell types.
- The S phase is a critical period for ensuring that the DNA is accurately replicated.
- The G2 phase allows the cell to repair any damage to the DNA before entering mitosis.
- The M phase is the shortest phase of the cell cycle, but it is essential for the separation of chromosomes.
- The cell cycle is a highly coordinated process that ensures the proper growth and division of cells.
- The cell cycle is a fundamental process in all eukaryotic organisms.
- The cell cycle is a key component of tissue homeostasis and regeneration.
- The cell cycle is a target for many cancer treatments.
- The cell cycle is a complex and fascinating process that continues to be studied by scientists.

Page 12 of 15

© 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This material is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated widely.

1234567890
1234567890
1234567890

(एकडेजारु खान)

सचिव

पु०सं०- पाणिपतरीषद सम्बद्धता/2022/9756-9830

दिनांक: 10/10/2022

प्रतिभाषि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, J D COLLEGE OF PHARMACY



(एकडेजारु खान)

सचिव

- ✓ संस्था को यू0आई0सी0टी0ई0टी0सी0टी0टी0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदंडों/मिडिया एवं विदेशक/प्राविधिक शिक्षा, उच्च/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अडोनों, मिडियों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए समस्त स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काम झपट करिया जाता है तथा शहर बाहर के संबंध में सा. मा.कालेज द्वारा किसी प्रकार की धमिधुमि सहायी-सहाय विनिर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिधुति संबंधित संस्था को सहनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु साउथविकिण प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0टी0 से अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश संचालित को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (साउथविकिण के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोदी नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आवश्यकता नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐडिडिआसिक पृथि धुमि, स्टाफ, सारजनिकता, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, साक्षात्सा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त घोषण उपलब्ध करने के साथ वेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्देशालय समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, सुनि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाय है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त या प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमोदी भी सारोगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सारक-संख्या ए0सी0आई0टी0ई0टी0सी0टी0टी0/पी0सी0आई0टी0ई0टी0सी0टी0टी0 के मातलनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाय है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाये अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुरोधितसक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार बीमंडर)

सचिव

पू0सी0 प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4009

दिनांक: 09/08/2021

पतालिपि:-

पञातततर्/मिडिेक, J D COLLEGE OF PHARMACY, NOORPUR, BL/NOR


(सुनील कुमार बीमंडर)

